उत्तर प्रदेश सरकार

आवास अनुभाग–1

लखनऊ : दिनांक : अगस्त 15, 1998

संख्या : 5080/9–आ–1–1998

//कार्यालय ज्ञाप//

आवास एवं विकास परिषद द्वारा नगर के इन्फ्रस्ट्रक्चर विकास के प्रति योगदान सुनिश्चित करने हेतु परिषद कीकुछ स्रोतों से आय के निर्धारित अंशको इस प्रयोजन हेतु निर्दिष्ट करने के उद्देश्य से श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 (उ0प्र0 अधिनियम संख्याः 1, 1966) की धारा 92 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्ति के अधीन, यह निर्देश देते है कि :–

1. परिषद की कुछ स्रातों से आय के अंश को परिषद के सामान्य पूल में न डालकर ''आवासीय इन्फ्रास्ट्रक्चर'' हेतु निहित अलग बैंक खाते में जमा किया जायेगा और उसका लेखा अलग शीर्षक के अन्तर्गत प्रत्येक नगर के लिए अलग–अलग रखा जायेगा।

2. उक्त खाते में निम्नलिखित प्राप्तियां जाम की जायेगी :–

(क) निम्न स्तरीय भू–उपयोग को उच्च स्तरीय भू–उपयोग मेंपरिवर्तन करते समय प्राप्त परिवर्तन शुल्क का 90 प्रतिशत तथा शेष 10 परिषद अंश।

(ख) परिषद की योजना के अन्तर्गत मानचित्र स्वीकृति करते हुए देय विकास शुल्क तथा सुदृढ़ीकरण शुल्क का 90 प्रतिशत तथा शेष 10 प्रतिशत परिषद अंश। इस मद में प्राप्त धनराशि तत्सम्बन्धी कालोनी के लिए उपलब्ध करायी जाने वाली सेवाओं जैसी कि मार्ग निर्माण, ड्रेनेज, सीवर, मार्ग प्रकाश व जलापूर्ति व्यवस्था पर ही व्यय की जा सकेगी।

(ग) परिषद योजना क्षेत्र में महायोजना के अनुसार आवासीय क्षेत्र में स्थापित अप्राधिकृत कालानियों में विकास शुल्क लेकर मानचित्र स्वीकृति किए जायेंगे। यह धनराशि इस व्यवस्था के अन्तर्गत ली जायेगी कि उस क्षेत्र के न्यूनतम 80 प्रतिशत भू–भाग द्वारा विकास शुल्क जमा कर लिए लाने पर ही उस क्षेत्र विशेष का विकास कार्य किया जायेगा। एकसे किए जाने वाले विकास कार्य का स्तर भी स्पष्ट किया जायेगा। प्राप्त विकास शुल्क का 90 प्रतिशत अंश तथा शेष 10 प्रतिशत परिषद अंश।

(घ) अनाधिकृत निर्माण के सम्बन्ध में प्राप्त होने वाले शमन शुल्क का 50 प्रतिशत अंश तथा शेष 50 प्रतिशत अशं परिषद अंश।

(च) परिषद द्वारा अपनी सम्पत्तियों को फ्री होल्ड किये जाने से प्राप्त होने वाली आय का 90 प्रतिशत अशं ताि शेष 10 प्रतिशत अंश।

(छ) परिषद द्वारा बेचे ज रहे भूखण्डों के मूल्य पर 10 प्रतिशत अधिभार लगाते हुए प्राप्त होने वाली अतिरिक्त आय का श–प्रतिशत अंश।

(ज)विकय विलेख के निबन्धन से प्राप्त आय का 90 प्रतिशत अंश तथा शेष 10 प्रतिशत परिषद अंश।

3. उक्त खाता परिषद के स्तर पर होगा, परन्तु इस खाते की धनराशि से व्यय, मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित एक समिति द्वारा किया जायेगा। समिति के सदस्य आवास आयुक्त अथ्वा उनके द्वारा नामित अधिकारी, जिलाधिकारी, उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण मुख्यनगर अधिकारी नगर निगम/अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका परिषद और जलनिगम के प्रतिनिधि होंगे।

4. उक्त खाते में जमा धनराशि सम्बन्धित नगर के के लिए उपलब्ध करायी जाने वाली मार्ग निर्माण, ड्रेनेज, सीवर मार्ग प्रकाश जलापूर्ति व सौन्दर्यीकरण आदि सेवाओं पर ही व्यय की जा सकेगी।

6. शासन द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेश मे विहित रीति से उक्त खाते से व्यय किये जायेंगे।

आज्ञा से,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या–5080(1)/9–आ–1–1998 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

2. आवास आयुक्त, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ
2. सम्बन्धित मण्डलायुक्त/अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण उत्तर प्रदेश।
3. सम्बन्धित उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. सम्बन्धित मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
6. सम्बन्धित अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, उ.प्र.।
7. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
8. आवास विभाग के समस्त अनुभाग।
9. उत्तर प्रदेश आवास बन्धु।

आज्ञा से,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव